

**न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)**

आदेश पत्रक

महतीर मल्ली

बनाम

रंजीत मल्ली

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
-----------	---------------------------------	----------------

अभिलेख सं०-एम.....141...../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी लमाड के अप्राथमिकी सं०-43/17 दिनांक-30/9/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीन विवाद के खेवध में उभय पक्ष में तनाव है

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 30/10/17 को उपस्थापित करें।  
लेखापित एवं संशोधित

*(Signature)*


कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू।

*(Signature)*

कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू।

30-10-17

अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित । उभय पक्ष जमानत दाखिल करे।  
उभय पक्ष को और न्यायालय में रुक  
आवेदन देकर निम्न प्रार्थना किया गया है कि

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
<u>04-05-18</u> 18-05-18	पीठासीन पदाधिकारी शिवसुभाष पर। दिनांक 25-05-18 को रहे। —
25-05-18	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र            अनुपस्थित दितीय पत्र उपस्थित।            उक्त बाढ़ में 6 (छः) माह की अवधि            रही है। इसी हेतु अर्थात् बाढ़ काल-            बाधित हो गया है। उक्त बाढ़ में            अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती            है।</p> <p style="text-align: right;">             25/5/18         </p>